

संख्या-

9612/15-7-1619 II/2001

प्रेम्क,

अभिलेख सं. 208
अनुसूचित
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समूह 'ए' केन्द्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 8 मई, 2002

विषय:-

राज्य के उपरोक्त सं. 208 के अन्तर्गत के प्रारंभिक जमाद बीतानुसार
के सी०बी०ए०के नई दिल्ली से संबन्धित प्रमाण का दिने जाने
विषय ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जो यह लगे का निर्देश प्राप्त है कि राज्य के उपरोक्त
सं. 208 के अन्तर्गत के प्रारंभिक जमाद बीतानुसार के सी०बी०ए०के नई दिल्ली से
संबन्धित प्रमाण का दिने जाने से का राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रावधानों
के अन्तर्गत प्रमाणित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की संबन्धित प्राप्ति होने की तिथि से 30% मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

158 राज्य प्रेषित की निर्देशित कार्यवाही की राजकीय सहायता प्राप्त
काम लेवाओं के कार्यवाही को अनुसूचित क्षेत्रवासी तथा अन्य वर्गों
के अन्य क्षेत्रवासी तथा अन्य वर्गों को भी दिये जायेंगे ।

161 कार्यवाही की देर में कर्मचारी वर्गों और अन्य सहायक प्रशासन
अधीनस्थ कर्मचारी भी कर्मचारी के अनुसूचित क्षेत्रवासी
का समान व्यवस्था कराये जायेंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा तब-तब पर जो भी निर्देश निकाले जायें
वे सब उनका ध्यान रखेंगे ।

181 कर्मचारी के राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई कार्यवाही/
निर्देशन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रावधानों का प्रयोग कर्मचारी के लिए अतिव्यय लेखा और
वर्गों के लिए तथा वह प्रयोग करते हैं कि कर्मचारी द्वारा उक्त प्रावधानों का प्रयोग
नहीं किया जा रहा है उक्त प्रयोग करने में कर्मचारी को प्रयोग की पूर्व का
निर्देशन कराया जा रहा है जो राज्य सरकार द्वारा प्रेषित अनुसूचित प्रयोग
का प्रयोग के बिना किया जायेगा ।

सचिव,

1 अक्टूबर 1957, मुंबई ।
शु. 10/10/57

प्रावधान 10/10/57-अनुसूचित

प्रावधान निर्देशनिका की सुझाव का आदेश कार्यवाही के

प्रति :-

- 1- विद्या प्रवेशित उत्तर प्रदेश, उत्तर
- 2- कर्नाटक राज्य विद्या प्रवेशित, उत्तर ।
- 3- विद्या निर्देशन निर्देशन, सीमांतप्रदेश ।
- 4- राज्य भारतीय निर्देशन उत्तर, उत्तर ।
- 5- प्रवेशित, राज्य की अन्तर्देशन रूप, 3 निर्देशन के प्रेषित निर्देशन
सीमांतप्रदेश ।
- 6- कार्य रूप ।

सचिव,

1 अक्टूबर 1957, मुंबई ।
शु. 10/10/57